

स० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० एहतेशाम पिता- मुमताज हुसैन ग्राम+पो०+थाना- कजरैली जिला- भागलपुर यूएचआईडी न०- 100601609	हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
2	पीयूषी कुमारी पिता- कौशल कुमार भारती ग्राम+पो०- कुर्मन थाना- बेलदौर जिला- खगड़िया यूएचआईडी न०- 107812744	स्पाइन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शैलेश कुमार साह पिता- रामपुकार साह ग्राम- शहबाजपुर पो०- हबीबनगर थाना- हुसैनगज जिला- सिवान यूएचआईडी न०- 100908755	Post Kidney Transplant	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	गणेश कुमार पिता- महेन्द्र यादव ग्राम+पो०- बडवासनी थाना- कटोरिया जिला- बांका यूएचआईडी न०- 107777104	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।

5	घनश्याम सिंह पिता-शम्भु सिंह ग्राम+पोस्ट-कुडेसर थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर यु0एचआईडी-107691160	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	लक्ष्मीना देवी पति-श्यामा साह ग्राम+पो0-गेहुआ थाना-चौद जिला-कैमुर, भभुआ यु0एचआईडी-108002336	ऐ-प्लास्टिक ऐनिमिया रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			12,15,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,15,000/- (बारह लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176913 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)वर्मा
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1391(14)

पटना, दिनांक 18/5/2023-

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 176913 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक ..

विषय:— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 14.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बोबी देवी पति- सरोज साफी ग्राम- नरार गुलरियाटोल पो०- नरार थाना- खजौली जिला- मधुबनी यूएचआईडी न०- 107090366	Rhemuatoid Arthritis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196903 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की

संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1392(14)

पटना, दिनांक

19/5/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196703 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
Epitome Kidney Unology Institute & Lions Hospital
A-321, New Friends Colony,
Khizarabad, New Delhi - 110025

पटना, दिनांक.....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक **14.05.2025** की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	अभिनव राज पिता- राम बिलाश हरिजन ग्राम- रतनगज पो0- सुकटिया बाजार थाना- गोपालपुर जिला- भागलपुर	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **196903** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- **165105500571**, खाता धारक का नाम- Integrated Kidney Solutions Private Limited, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- ICICI BANK, शाखा का नाम- UNIVERSAL TRADE TOWER BRANCH, RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0001651 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

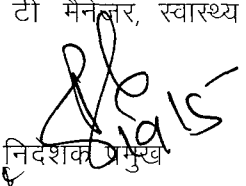
ज्ञापाक 1393(14)

पटना, दिनांक

18/5/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176903 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शर्मीला देवी पति- विजय साह ग्राम- शिव मंदिर ब्रह्मपुरा पो0- एम आई टी थाना- ब्रह्मपुरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 2017847693	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	किशुन पाल यादव पिता- भगन यादव ग्राम- जजवलिया पो0- बाजुडीह महुअवा थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 2017144216	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रमेश यादव पिता- राधाकिशुन चौधरी ग्राम- राजापुर पो0+थाना- कटेया जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 2025300057	Rt Renal mass	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	सत्य प्रकाश पिता- लालबहादुर साह ग्राम- खम्हिया पो0+थाना- इनरवा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 2022064938	ब्रेन ट्यूमर सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	अनुराग कुमार पिता- शिवपूजन मिश्रा ग्राम- सरेया बदुराहा पो0- रामपुर खजुरिया थाना- डुमरिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2024856022	Acute myeloid Lukemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
6	रीना देवी पति- प्रदीप सिंह ग्राम- बडहरवा खुर्द पो0- सेमभुआपुर थाना- डुमरिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2025120420	CBC Type I	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	ललनजी सिंह पिता- रामजमहल सिंह ग्राम- छितौली कला पो0- लक्ष्मीगज थाना- गोरेयाकोठी जिला- सिवान सीआर न0- 2025165328	Laf Simple Nephrectomy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
8	अमरेन्द्र कुमार शाही पिता- सुखदेव शाही ग्राम+पो0- शिवपुर सकरा थाना- असाँव जिला- सिवान सीआर न0- 2016975403	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	पवन कुमार पिता- लक्ष्मण साह ग्राम- तेजपुरवा टोला चैनपुर पो0- मिर्जापुर थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर न0- 2025259307	ब्रेन ट्यूमर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	अरविन्द पडित पिता- यादोलाल पडित ग्राम- भारतमही पो0- सिंहपुर हरैया थाना- हरैया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2024839827	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
11	अमर कुमार पिता- देवपूजन साह ग्राम- सोनवलिया पो0- राजापट्टी थाना- बैकुण्ठपुर जिला- गोपालगज सीआर न0- 20241103468	Achalacia Cardia	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

12	दीनानाथ महतो पिता- चदेश्वर महतो ग्राम- जतकौली पो0- धरमपुर थाना+जिला- वैशाली सीआर न0- 2016709646	Psoriatic Arthritis	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
13	चन्दन कुमार पिता- गृह कात शर्मा ग्राम- बरौनी नं0 1 पो0- बरौनी ड्योढी थाना- तेघडा पुलिस जिला- बेगूसराय सीआर न0- 2023674614	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	अमर प्रसाद पिता- दिनेश प्रसाद ग्राम- बाईपास रोड डुमरौव पो0+थाना- डुमराव जिला- बक्सर सीआर न0- 20241232187	थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुश	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	अनुष्का पिता- अशुमान प्रसाद ग्राम+पो0- सिसवा बसतपुर थाना- चौतरवा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2011666813	Robotic Left Stominephrecto my	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
16	श्याम बिहारी यादव पिता- सीताराम यादव ग्राम- सबेया वार्ड 04 पो0- जगदीशपुर थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगज सीआर नं0- 2024443650	हृदय रोग DM/ CAD	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	रईश आलम पिता- उमर आलम ग्राम+पो0- पिपरा थाना- गोविन्दगज जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 2025139708	Chronic Budd Chiari Syndrome	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
18	दिनेश कुमार पिता- रामदौन साह ग्राम- सूपना पो0- अजीजपुर थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2015598072	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	मैनुडीन मसूरी पिता- मजूर मंसूरी ग्राम- सहता, पो0- गवन्द्रा थाना- चकिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2025304608	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	मिस्टर आलम पिता- अब्बास आलम ग्राम- बेलदारी पो0- बेतिया, थाना- मुफरिसल जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2025312156	EHBO रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
21	रघुनाथ महतो पिता- स्व0 कल्लर महतो ग्राम- अभदा सैदनगर पो0+थाना- लेहेरियासराय जिला- दरभंगा सीआर न0- 2015872683	किडनी व मूत्र रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
22	बेबी ऑफ इन्द्रा कुमार पिता- इन्द्रा कुमार ग्राम- फलपुरा पो0-नैनपुरा थाना-जी0बी0 नगर जिला-सीवान सीआरनं0-2025022181	Hirschsprung disease	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
23	नूरजन्नत पिता-ऐनुल हक ग्राम-कपरपुरा पो0-झिरवा थाना-उचका गाँव जिला-गोपालगंज सीआरन0-20241084250	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	प्रियाशु कुमार पिता-धन्जी प्रसाद ग्राम-लाल बिहारी सिंह के टोला, पो0-बौलीपुर थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर सीआरन0-2022657676	EHPVO pontel Covenona cholayopathy	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
25	मुकुल कुमार पिता- अभिमन्यु प्रसाद सिंह ग्राम- बडी सगत बेटवन बाजार पो0- मुगेर थाना- कासिमबाजार जिला- मुगेर सीआर नं0- 2025058404	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			22,25,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 22,25,000/- (बाईस लाख पचीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176903 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम—“निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1394 (14)

पटना, दिनांक

19/5/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176903 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/5/23
निदेशक प्रमुख



सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक, /अधीक्षक
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, गोमती नगर
लखनऊ -226010

पटना, दिनांक—

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	समरूल नेशा पति— समरूल रहमान ग्राम+पो०— रूद्रपुर थाना— कटेया जिला— गोपालगंज	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मो० मुस्तफा पिता— जुल्फान अंसारी ग्राम+पो०— सिसवा थाना— विश्वम्भरपुर जिला— गोपालगंज	हृदय रोग HTM CAD CSA	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/—(दो लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196903 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-6193000100005944, खाता धारक का नाम—MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम—विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड सं०-PUNB0619300 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1395(14)

पटना, दिनांक 19/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176903 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 14.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	मनोज कुमार पिता- स्व० महेश प्रसाद ग्राम- झारी साव लेन मोड थाना रोड जहानाबाद पो०+थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद एमआरडी न०- 6016405	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	चदा देवी पति- मदन कुमार राम ग्राम- तुर्की पो०- सदोखर थाना- चेनारी जिला- रोहतास एमआरडी न०- 5882401	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	राम विशेष प्रसाद पिता- स्व० भोला महतो ग्राम- पिपरा पो०+थाना- दरपा जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न०- 6922477	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रूबी देवी पति- गजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ग्राम- कोईरगावा पो०- अठमोहान थाना- जितना जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न०- 6922454	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	कलावती देवी पति- श्रीधर शर्मा ग्राम- बरहेता गढ वार्ड 04 पो0- तिलैया थाना- बाकेबाजार जिला- गया एमआरडी न0- 6286200	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	अनिता देवी पति- मोहन साह ग्राम+पो0- बरौडा थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7379928	Hypothyroidism	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
7	धनश्री देवी पति- रामाश्रय यादव ग्राम- जिगिना पो0- सिरसी थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 6827520	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	सुरेन्द्र पाण्डेय पिता- गुप्तेश्वर पाण्डेय ग्राम- बघैला पो0+थाना- चौद जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7171550	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			₹ 8,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,30,000/- (आठ लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196103... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1396 (14)

पटना, दिनांक

19/5/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 126703... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

R

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक

एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०

डी०एल० डबलु हाईडिल रोड,

वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनी देवी पति- मदन कुमार ग्राम- हटना पो०- महुअरि थाना- कोचस जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	श्रीभगवान सिंह पिता- बूची सिंह ग्राम- चौगडी कला पो०- गच्छई थाना- काराकाट जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नुरेशा बीबी पति- शरीफ असारी ग्राम+पो०+थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	नागेश्वरी देवी पति- संजय पाण्डेय ग्राम+पो०+थाना- भगवानपुर जिला- कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196903..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-36180579026, खाता धारक का नाम- APEX WELCARE PVT, LTD खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ₹

शाखा का नाम— SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI
RTGS/IFSC कोड स0—SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1397(14)

पटना, दिनांक

19/5/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176903... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रकाश कुमार गुप्ता पिता- महेश साव ग्राम- बैरागी मोड नियर कलाली मोड गया पो0- रेलवे स्टेशन गया थाना- कोतवाली जिला- गया केस फाईल न0-16एफ2023/001627	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मुकेश कुमार पिता- गोविन्द कुमार ग्राम+पो0- रामनगर थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0-16एफ2024/002674	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	परमानन्द सिंह पिता- योगेद्र सिंह ग्राम- केदुई नियर सूर्य टेम्पल पो0- केदुई थाना- मगध मेडिकल जिला- गया केस फाईल न0-18एफ2024/006881	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मेनका कुमारी पति- महेश कुमार ग्राम- मजलिशपुर पो0- गोविंदपुर गोखुला थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0-18एफ2025/005635	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	गभीर कुमार पिता- भोला राय ग्राम- मलिकपुर पो0- रूस्तमपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0-16एफ2025 / 000672	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	दिलीप सिंह पिता- स्व0 दरोगा सिंह ग्राम- भभुआ वार्ड 19 तिवारी टोला पो0+थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल नं0-11एफ2024 / 012103	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
7	दरोगा प्रसाद पिता- स्व0 रघुनाथ महतो ग्राम+पो0- भिठी थाना- गोरेयाकोठी जिला- सिवान केस फाईल न0-18एफ2025 / 002038	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	चितरजन मिश्रा पिता- बबन मिश्रा ग्राम- गंगापुर पो0- गोगौरा थाना- धनसोई जिला- बक्सर केस फाईल न0-16एफ2024 / 000227	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	मुस्कान कुमारी पिता- बद्री यादव ग्राम+पो0- अरियोव थाना- कृष्णाब्रह्म जिला- बक्सर केस फाईल न0- केई / 51960	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	धनबरता देवी पति- कमला प्रसाद ग्राम- बखारबाध पो0- जैतपुर कला थाना- भगवानपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-16एफ2023 / 001600	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	राम अवध राम पिता- रघुवर राम ग्राम- भदारी पो0- बराढी थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल नं0-18एफ2024 / 008497	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	गीता देवी पति- रामअवतार साह ग्राम+पो0+थाना- सन्झौनली जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2024 / 006536	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	सुरेद्र चौधरी पिता- चद्रदेव चौधरी ग्राम+पो0- मुठेर थाना- कडौना जिला- जहानाबाद केस फाईल न0-16एफ2025 / 000082	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	राजेद्र ठाकुर पिता- रत्नेश्वर ठाकुर ग्राम+पो0- धंधुआ थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली केस फाईल न0- सीएल / 32915	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	राजेश प्रसाद पिता- जगदीश प्रसाद ग्राम- हरी जी का हटा डुमराव पो0+थाना- डुमराव जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2025 / 002185	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	मास्टर सचिन कुमार पिता- दिलीप कुमार यादव ग्राम- इमलिया पो0+थाना- महुअवा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0-16एफ2025 / 000099	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	मास्टर अलतमश नूर पिता- नूर आलम ग्राम- धूमनगर असारि टोला पो0- धूमनगर थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-16एफ2024 / 002582	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
18	बिजयनारायण सिंह पिता- स्व0 खदेरू सिंह ग्राम+पो0- आलमपुर थाना- शिवसागर जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2024 / 010634	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
19	विभा कुमारी पति- पप्पू दास ग्राम- खुटौना पो0- बेतौना थाना- पताही जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0-19एफ2025 / 001615	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

20	मास्टर सरोज कुमार चौधरी पिता- बागेश्वर चौधरी ग्राम- डुमरी उर्फ महम्मदपुर मोबारक पो0- डुमरी थाना- मुशहरी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0-19एफ2024 / 000573	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
21	मनेद्र कुमार मिश्र पिता- प्रहलाद मिश्र ग्राम- भदवही पो0- बनकटा जागीरदारी थाना- भोरे जिला- गोपालगंज केस फाईल न0-18एफ2025 / 002356	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	शारदा देवी पति- नरेद्र दुबे ग्राम- मणिपुर पो0- डोईया थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2025 / 003043	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
23	श्रीकांत सिंह पिता- स्व0 राम लखन सिंह ग्राम- नौजर घाट दीवान मोहल्ला पो0- झाऊगंज थाना- खाजेकला जिला- पटना केस फाईल न0-18एफ2023 / 016972	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	आभा कुमारी पिता- स्व0 जय मंगल राम ग्राम-पिपराहॉ असली पो0- पिपराहॉ थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0-19एफ2025 / 001441	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	चिता देवी पति- रजीत यादव ग्राम- रेवल पो0- मुबारकपुर थाना- माझी जिला- सारण केस फाईल न0-18एफ2023 / 003006	ट्यूमर/ कैसर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	बिन्दु सिंह पिता- स्व0 मुखलाल राय ग्राम- सातो अवन्ति नई कोट पो0- चपरॉंग थाना- नुआँव जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-16एफ2025 / 000616	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

27	प्रदुम कुमार पिता- प्रमोद पांडेय ग्राम+पो0- अजयपुर थाना- नूरसराय जिला- नालदा केस फाईल न0-11एफ2025/005782	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	प्रमोद त्रिपाठी पिता- राजकेश्वर त्रिपाठी ग्राम- विष्णुपा कार्सील्ली वार्ड 40 पो0- चौद चौरा थाना- विष्णुपद जिला- गया केस फाईल न0-18एफ2025/001123	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	विभा सिंह पति-नागेन्द्र सिंह ग्राम+पो0-मोहनिया थाना-मोहनिया जिला कैमुर भभुआ केसफाइलन0-18एफ2025/005154	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			26,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 26,80,000/- (छब्बीस लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196703 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 3675632747 खाता धारक का नाम- **होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया**, शाखा का नाम- **Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।**
- चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।**
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष"**, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0

बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छ
माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1398 (14)

पटना, दिनांक- 19/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि
सलग्न चेक सं0 196903 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को
कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य
विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

1399 (14)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक 19/5/2025

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अरेन्द्र प्रसाद यादव पिता- शिव प्रसाद यादव ग्राम+पो- कनपा थाना- सौरबाजार जिला- सहरसा केस फाईल न०- सीआर/37781	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मो० रजी आलम पिता- स्व० मो० शमीम आलम ग्राम- आदर्श नगर वार्ड 16 पो०+थाना- अरिरिया जिला- अररिया केस फाईल न०- 11एफ2024/022694	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रामनाथ मंडल पिता- गोविन्द मंडल ग्राम- शिवपुरी पो०- बी० एम० पी० 7 थाना- सहायक जिला- कटिहार केस फाईल न०- 11एफ2023/036952	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	पिंकी कुमारी पति- पंकज कुमार ग्राम- चरवा के टोला पो०- चैनवा थाना- रसूलपुर जिला- सारण केस फाईल न०- 11एफ2023/025144	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	मो० मोजफ्फर पिता— अब्दुर राफे ग्राम— अम्बा शैख टोला पो०— अम्बा कला थाना— पिपराही जिला— शिवहर केस फाईल न०— सीवी/41950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	राजन कुमार पिता— श्री चंद प्रसाद ग्राम— कैमा शिकोह हाजीगज पटना सिटी पो०— झाऊगज थाना— चौक जिला— पटना केस फाईल न०— 11एफ2024/037558	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
7	राज कुमार पिता— अवधेश महतो ग्राम— बहुरुपिया पो०+थाना— सुगौली जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०— 11एफ2024/015384	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
8	नवीन कुमार यादव पिता— कपिल देव यादव ग्राम— मैनाथचक पो०— गोरगामा थाना— अमरपुर जिला— बाका केस फाईल न०— सीडी/13845	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	लालबदन देवी पति— राजेद्र प्रसाद ग्राम— फतेहपुर पो०+थाना— योगापट्टी जिला— पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०— 19 एफ 2023/001579	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			15,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,50,000/- (पन्द्रह लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196903 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683 खाता धारक का नाम— टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख

- उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1399 (14)

पटना, दिनांक

19/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176702...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज

आई०डी०ए०, स्कुडर रोड

पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय -- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1		3	4	5
1	अवधेश शर्मा पिता- भोला मिस्त्री ग्राम- कर्मा पो०- बालूगज थाना- डीबरा जिला- औरंगाबाद सीएमसी न०- एजी 61726	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	पिकी कुमारी पति- निवास कुमार ग्राम- श्रीरामपुर पो०- बढौना थाना- हिसुआ जिला- नवादा सीएमसी न०- एएफ 75032	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	अरविन्द कुमार पिता- यदुलाल ग्राम- हिसुआ पाचू महवीर स्थान पो०+थाना- हिसुआ जिला- नवादा सीएमसी न०- एएफ 58325	Kidney Injury	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	शारदा देवी पति- अनुज कुमार ग्राम- मैदी खुर्द वार्ड 13 पो०- खोदागज थाना- खुदागज जिला- नालदा सीएमसी न०- एएच 25867	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	मो० शकील अख्तर पिता- मो० नईम अख्तर ग्राम- रामराज नगर कर्मा रोड पो०- औरगाबाद थाना- मुफ्फशील जिला- औरगाबाद सीएमसी न०- एजे 04009	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
6	आशा देवी पति- सुरेद्र सिंह ग्राम- राजो बीघा पो०- धेवधा थाना- पकरीबरावा जिला- नवादा सीएमसी न०- एआई 39639	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	जायास पिता- सत्य पाल कुमार शर्मा ग्राम- 205 छाया रोड मालगोदाम नवादा पो०+थाना- नवादा जिला- नवादा सीएमसी न०- 179155 पी	Grade 4 Subglottic Stenosis Post Intubation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	सजय कुमार पिता- बासुदेव सिंह ग्राम+पो०- बलौर थाना- कुडनी जिला- मुजफ्फरपुर सीएमसी न०- एजी 45439	Lower Limb Lymphedema	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	आमिर अंसारी पिता- खलील मिया ग्राम- काजीचक पो०- रामनाथपुर थाना- सरमेरा जिला- नालंदा सीएमसी न०- 061404 पी	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	सुजीत केवट पिता- सतलाल केवट ग्राम- पथला पो०+थाना+जिला- लखीसराय सीएमसी न०- 072142 एच	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			10,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,10,000/- (दस लाख दस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176909 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 मे अंतरित किया जाता।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1400(14)

पटना, दिनांक

19/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196903 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

१

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एड रिसर्च, चडीगढ़- 160012

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विक्रांत कुमार पिता- अखिलेश राय ग्राम- निलो रूकुदपुर पो०- डमैछ थाना- तिसऔटा जिला- वैशाली सीआर न०- 202501345663	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	योगेन्द्र कुमार झा पिता- नीलाम्बर झा ग्राम- रहिका कोठा टोल पो०+थाना- रहिका जिला- मधुबनी सीआर न०- 202401933563	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	आशिष कुमार ठाकुर पिता- ललन कुमार ठाकुर ग्राम+पो०- वेरमा थाना- लखनौर जिला- मधुबनी सीआर न०- 202202156117	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			8,25,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,25,000/- (आठ लाख पचीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196903 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर, पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी०" खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०,

शाखा का नाम— मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड स० 01524 में अंतरि किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1401(14)

पटना, दिनांक

19/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196903 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

५



स0स0 14/एम 11-01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
बी०एम० बीडला,हार्ट रिसर्च, सेंटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **14.05.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनवेश कुमार पिता- रामखेलावन मेहता ग्राम- बिजहर पो०- पवई थाना- मुफ्फशील जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196903... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- **232102000000002**, खाता धारक का नाम- बी०एम० बीडला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकत्ता-700027 ब्रांच, RTGS/IFSC कोड स० IOBA0002321 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें ।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

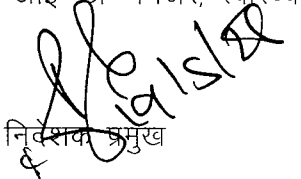
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1402(14)

पटना, दिनांक 19/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176903 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


निदेशक प्रमुख